

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'इकहत्तर'

[23/3/2018]

प्रश्न सं. [क. 2969]

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय भोपाल

// आदेश //

भोपाल दिनांक 18 नवम्बर 2011

क्रमांक-एफ-1-14/2011/22/प-1, जिला एवं जनपद पंचायत में कार्यरत कर्मचारियों के स्थानांतरण की नीति क्रमांक एफ 2-40/2003/22/प-1 दिनांक 28.08.2003 निरस्त करते हुए अब इन संस्थाओं में कार्यरत तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नीति निम्नानुसार निर्धारित की जाती है -

1. जिला पंचायत में कार्यरत कर्मचारी का स्थानांतर दूसरी जिला पंचायत में दोनों पंचायत की आपसी सहमति व जिला पंचायतों की सामान्य प्रशासन समिति द्वारा इस आशय के पारित प्रस्ताव के अनुसार स्थानांतर किये जाने वाली जिला पंचायत में पद की उपलब्धता के आधार पर आयुक्त, पंचायतराज मध्यप्रदेश, द्वारा आदेश जारी किये जा सकेंगे।
2. एक जिले से दूसरे जिले की जनपद पंचायत में स्थानांतर जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति द्वारा इस आशय के पारित प्रस्ताव अनुसार स्थानांतर किये जाने वाली जनपद पंचायत में पद रिक्त होने की दशा में आयुक्त, पंचायतराज मध्यप्रदेश द्वारा आदेश जारी किये जा सकेंगे।
3. जिले की एक जनपद पंचायत से दूसरी जनपद पंचायत में स्थानांतर दोनों जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति द्वारा पारित प्रस्ताव अनुसार एवं स्थानांतरित होने वाली जनपद पंचायत में पद रिक्त होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की अनुशंसा पर जिला कलेक्टर द्वारा आदेश जारी किये जा सकेंगे।
4. जिला/जनपद पंचायत के कर्मचारियों के स्थानांतर पदोन्नति से भरे जाने वाले पद पर तब तक नहीं किये जा सकेंगे, जब तक की पदोन्नति का पात्र कर्मचारी उस जिला/जनपद में उपलब्ध है।
5. स्थानांतर से पदस्थ व्यक्ति की चरिष्ठता के प्रयोजन के लिये पद के उस समय में जिस पर वह नियुक्त किया गया हो पदस्थापना की तारीख की रिधति से कनिष्ठता रैंक प्राप्त होगी।
6. विशिष्ट परिस्थितियों में राज्य शासन पद उपलब्धता के आधार पर उपरोक्त स्थानांतरण कर सकेंगे।

(हीरालाल त्रिवेदी)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

(4)

(3)

//2//

पृ.क. एक-1-14/2011/22/पं-1
प्रतिलिपि :-

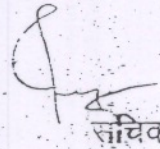
भोपाल दिनांक 18 नवम्बर 2011.

1. सचिव, मान.मुख्यमंत्री जी मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल।
3. निज सहायक मा. मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल।

1. आयुक्त, पंचायतराज संचालनालय भोपाल।
2. आयुक्त, जनसम्पर्क मध्यप्रदेश भोपाल की ओर प्रकाशनार्थ।
3. समस्त संभागीय आयुक्त मध्यप्रदेश।
4. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश।

1. समस्त अध्यक्ष, जिला/जनपद पंचायत मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला/जनपद पंचायत मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ अपेक्षित।

1. प्रबन्ध निदेशक, मध्यप्रदेश माध्यम/पंचायिका में प्रकाशनार्थ।



सचिव

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग